

दिनांक 30-05-2018

आज ये पत्रावलियां न्याय आपके द्वार कैम्प ठेकडा पेश हुई। दोनों प्रकरणों में आराजीयात समान होने व पक्षकार समान होने के कारण एक ही निर्णय से निस्तारित किये जा रहे है।

प्रार्थना पत्र उनवानी सुरेन्द्रसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरा में प्रार्थीगण ने ग्राम बरीतकी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 25,28,53,54,57,58,89,90,143,176,19,22,38,51,52 कुल किता 15 रकबा 11.53 हैक्टर के बाबत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया है।

इसी प्रकार प्रार्थना पत्र उनवानी प्रकाश बनाम लक्ष्मणसिंह में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 19,22,25,28 के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बरीतकी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 25,28,53 54,57,58,89, 90,143,176,19,22,38,51,52 कुल किता 15 रकबा 11.53 हैक्टर पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है। पक्षकारों को माननीय सिविल न्यायाधीश महवा के न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 6/5 लक्ष्मणसिंह बनाम प्रकाश में उभय पक्ष को विवादित आराजीयात के मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबंद किया जा चुका है। इसलिये हम दोनो पक्षों को मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबंद करना उचित समझते है।

अपक्षकार  
रकबा (दिनांक देसा)

1-5  
12

1. लय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज  
बनाम

सुरेन्द्रसिंह

मु. सं.

लक्ष्मणसिंह वगैरा

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

प्रकाश

लक्ष्मणसिंह वगैरा

अतः दोनों प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाकर दोनों पक्षों को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम बरीतकी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 25,28,53 54,57,58,89, 90,143,176,19,22,38,51,52 कुल किता 15 रकबा 11.53 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखें। निर्णय की एक एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। पत्रावलियां फौसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश मजमे आम मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दोसा)  
कैम्प टेकडा